[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 55/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, एकीकृत माल एवं सेवा कर, जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत लगाया जाता है से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह उस मूल्य से अधिक होता है जिस मूल्य पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/उर्वरक विभाग यूरिया, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3102 10 00 के अंतर्गत आता है, को उर्वरक वितरण निकायों को हाई सी सेल बेसिस (सामान्यत: जिसे "पूल इश्यू प्राइस" के नाम से जाना जाता है) पर बेचता है।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

[फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार